भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 659
दिनांक 6 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

डेयरी कृषि

659. श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वमः
श्री धनुष एम. कुमार:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसानों की आजीविका में सुधार करके पशुपालन और डेयरी कृषि में नवीनतम पद्धतियों और तकनीकों की बेहतर समझ प्राप्त करने में किसानों की सहायता करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
तो

(ख) क्या सरकार देश में सतत डेयरी कृषि विकसित करने के लिए गांवों को गोद लेने पर विचार कर रही है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में निधि प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में उक्त प्रयोजनार्थ चिह्नित किए गए गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है तथा ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुल कितनी निधि प्रदान की गई है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) जी हां। सरकार पशुपालन और डेयरी में नवीनतम पद्धतियों और तकनीकों की बेहतर समझ के लिए किसानों की सहायता करने हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत विस्तार और प्रशिक्षण कार्यकलाप कर रही है। साथ ही, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) स्कीम के अंतर्गत किसानों/दुग्ध उत्पादकों को अच्छी स्वच्छता/विनिर्माण पद्धतियों, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, दुधारू पशु पालन, पशु चारा, हरा चारा और खनिज मिश्रण अपनाने आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, भाकृअनुप-एनडीआरआई, करनाल द्वारा छोटे किसानों के लिए डेयरी आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किया गया है।

(ख) से (ङ) देश में धारणीय डेयरी कृषि विकसित करने के लिए गांवों को गोद लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, धारणीय डेयरी फार्मिंग विकसित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग पूरे देश में सभी गांवों में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है (I) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम; (iii) डेयरी अवसंरचना विकास निधि; (iv) राज्य डेयरी सहकारी सोसाइटियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता; (v) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना; (vi) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम; (vii) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत आहार एवं चारा विकास घटक और (viii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही इन योजनाओं का लाभ आधुनिक प्रौद्योगिकी सहित दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में वृद्धि के रूप में डेयरी में लगे 8 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को मिल रहा है। सरकार ने पशुपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा भी प्रदान की है। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध- I से V में दिया गया है।

******

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (31.01.2024 तक) राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
		जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	3181.38	5652.385	1546	3538.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	1240.8	397.08	467.16	1965.31
3.	असम	0	227.97	3658.19	723.25
4.	बिहार	7401.08	1048.14	4928.63	0
5.	छत्तीसगढ़	101.25	841.65	402	0
6.	गोवा			0	0
7.	गुजरात	101.25	2735.311	2222.82	13724.825
8.	हरियाणा	96.39	305.44	1173.66	0
9.	हिमाचल प्रदेश	484.25	5586.58	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	81	1533.93	2539.35	0
11.	झारखंड	101.25	2244.525	1500	0
12.	कर्नाटक	101.25	1996.46	3562.48	6546.27
13.	केरल	313	314	1284.12	0
14.	मध्य प्रदेश	2113.44	6024.963	9049.505	0
15.	महाराष्ट्र	202.5	0	0	0
16.	मणिपुर	500.64	294.98	166.69	0
17.	मेघालय	2039.22	738.21	0	0
18.	मिजोरम	268.28	154.11	138.69	449.31
19.	नागालैंड	372.06	494.7	608.86	0
20.	ओड़ीसा	0	3480.425	1374.25	0
21.	पंजाब	714.13		232	0
22.	राजस्थान	405	2254.77	250	0
23.	सिक्किम	0	268.78	574.42	800
24.	तमिलनाडु	2168.38	2663	3347	7449
25.	तेलंगाना	202.5	2439.76	0	0
26.	त्रिपुरा	0	2524.17	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	1012.5	2941.36	7671.25	0
28.	उत्तराखंड	3023.45	2115.44	1885.75	6082
29.	पश्चिम बंगाल	202.5	1213.371	2037.35	6500
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0
34.	दिल्ली	0	0	0	0
35.	लद्दाख	105	0	0	0
36.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
37.	पुडुचेरी	0	144.44	0	0

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (31.01.2024 तक) एनपीडीडी योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष			
		वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
घटक A#					
1	आंध्र प्रदेश	0.00	671.79	3335.23	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	9966.15	275.30	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	250.95	0.00	0.00	0.00
6	गोवा	0.00	39.81	0.00	0.00
7	गुजरात	446.95	13693.19	0.00	574.05
8	हरियाणा	0.00	502.69	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	61.55	1214.33	862.85	250.00
10	जम्मू और कश्मीर	949.52	7418.56	0.00	607.72
11	झारखंड	0.00	0.00	410.79	125.00
12	कर्नाटक	3564.00	3566.49	5405.39	2170.28
13	केरल	705.38	2569.78	48.23	794.29
14	मध्य प्रदेश	1013.48	0.00	0.00	49.13
15	महाराष्ट्र	1693.29	0.00	657.44	34.71
16	मणिपुर	514.62	901.89	0.00	0.00
17	मेघालय	821.98	810.91	1463.69	229.72
18	मिजोरम	20.38	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	16.78	200.00	194.71	0.00
20	ओडिशा	292.50	747.12	137.86	146.25
21	पुडुचेरी	0.00	39.47	0.00	25.00
22	पंजाब	612.50	3590.67	2233.88	0.00
23	राजस्थान	1750.22	2931.78	1076.85	3251.60
24	सिक्किम	1047.25	637.20	482.78	714.60
25	तमिलनाडु	3859.76	259.63	2963.99	1551.72
26	तेलंगाना	919.75	0.00	930.73	151.56
27	त्रिपुरा	78.99	0.00	0.00	302.00
28	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	48.50
29	उत्तराखंड	0.00	147.94	784.27	650.00
30	पश्चिम बंगाल	0.00	71.47	0.00	0.00
	कुल	**28586.00**	**40290.00**	**20988.68**	**11676.13**
घटक ख-सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी*					
1	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	0.00	0.00	930.50	15337.25
	कुल जोड़ (घटक क, घटक ख)	**28586.00**	**40290.00**	**21919.18**	**27013.38**

घटक क के अंतर्गत, स्कीम की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां जारी की गई थीं

* घटक क के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए एनडीडीबी को निधियां जारी की गई थीं

अनुबंध-III

दिनांक 11.01.2024 की स्थिति के अनुसार एसडीसीएफपीओ (कार्यशील पूंजी पर ब्याज सबवेंशन) की राज्यवार प्रगति

(लाख रुपए में)

सं.	राज्य	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
		कुल संवितरित ब्याज सबवेंशन 2% नियमित और 2% की अतिरिक्त दर पर)	कुल संवितरित ब्याज सबवेंशन 2% नियमित और 2% की अतिरिक्त दर पर)	कुल संवितरित ब्याज सबवेंशन 2% नियमित और 2% की अतिरिक्त दर पर)	कुल संवितरित ब्याज सबवेंशन 2% नियमित और 2% की अतिरिक्त दर पर)
1	आंध्र प्रदेश	223.00	336.00	232.00	78.00
2	असम	0.00	0.00	1.00	0.00
3	बिहार	137.00	124.00	61.00	0.00
4	गुजरात	12320.00	16362.00	10549.00	0.00
5	हरियाणा	63.00	36.00	72.00	0.00
6	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
7	झारखंड	9.00	0.00	14.00	0.00
8	कर्नाटक	979.00	1014.00	111.00	27.00
9	मध्य प्रदेश	36.00	0.00	7.00	0.00
10	महाराष्ट्र	439.00	471.00	416.00	0.00
11	पंजाब	1023.00	992.00	46.00	0.00
12	राजस्थान	318.00	332.00	89.00	0.00
13	तमिलनाडु	75.00	414.00	73.00	0.00
14	तेलंगाना	25.00	25.00	0.00	0.00
15	उत्तर प्रदेश	22.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	15669.00	20106.00	11671.00	105.00

अनुबंध-IV

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (31.01.2024 तक) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत जारी राज्य-वार निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
		एलएच और डीसीपी	एलएच और डीसीपी	एलएच और डीसीपी	एलएच और डीसीपी
1	आंध्र प्रदेश	6396.46	5440	1376.05	5575.88
2	अरुणाचल प्रदेश	867.68	1198.7	0	362.54
3	असम	40.35	3191.41	558.47	293.88
4	बिहार	1494.96	4912	895.66	0
5	छत्तीसगढ़	1271.46	3320.02	158.8	340.8
6	गोवा	64.14	20	0	0
7	गुजरात	1209.64	889	0	246.5
8	हरियाणा	1706.39	1120	2754.15	184.49
9	हिमाचल प्रदेश	1045.39	740.3	0	64.75
10	जम्मू और कश्मीर	2689.42	1928.1	240	667.88
11	झारखंड	2275.07	3776	0	0
12	कर्नाटक	5036.54	4588.48	998.19	5116.12
13	केरल	455.37	468.5	86.97	368.91
14	मध्य प्रदेश	4186.07	6496	352.73	1953.02
15	महाराष्ट्र	1871.77	2663.03	0	3456.91
16	मणिपुर	1978.49	992.02	314.01	135.66
17	मेघालय	141.06	732.41	0	129.49
18	मिजोरम	68.91	1134.03	116.66	0
19	नागालैंड	34.23	320.25	18.68	72.89
20	ओडिशा	1597.33	2896	0	318.1
21	पंजाब	2383.11	1120	0	0
22	राजस्थान	2761.79	10428.53	0	0
23	सिक्किम	14.22	167.57	232.57	117.5
24	तमिलनाडु	1938.3	4305.2	0	472.74
25	तेलंगाना	544.42	5174.76	0	0
26	त्रिपुरा	1255.05	253.2	0	59.76
27	उत्तर प्रदेश	12528.95	12769.26	7339.84	11819.01
28	उत्तराखंड	417.53	1246.97	535.1	1064.21
29	पश्चिम बंगाल	1477.5	3488	670	1819.5
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.8	6.32	80	0
31	चंडीगढ़	6.98	0	0	1.31
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2.25	0	0	0
33	दिल्ली	49.1	48	0	3.76
34	लद्दाख	148.05	144	0	22.87
35	लक्षद्वीप	18.06	163.33	0	0
36	पुडुचेरी	4.78	16	48	5.74
	कुल	**57983.62**	**86157.4**	**16775.88**	**34674.23**

अनुबंध - V

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना (31.01.2024 तक) राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	1073.125	2981.675	6009.28	1260.00
2	बिहार				
3	छत्तीसगढ़	1906.17	297.22		75.00
4	गोवा				
5	गुजरात	0			155.00
6	हरियाणा	0	0		157.25
7	हिमाचल प्रदेश	2483.47			
8	जम्मू और कश्मीर	0			
9	झारखंड	0			
10	कर्नाटक	0	970.49		250.00
11	केरल	663.00	0	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	1089.665	620.965		282.50
13	महाराष्ट्र	992.072		0.00	
14	ओडिशा	1032.76		446.00	
15	पंजाब	0		369.66	
16	राजस्थान	0			
17	तमिलनाडु	1552.16	0		
18	तेलंगाना	1153.11	542.76		
19	उत्तर प्रदेश	0	0		
20	उत्तराखंड	1680.17	867.66	0.00	
21	पश्चिम बंगाल			296.63	
उत्तर पूर्वी राज्य					
22	अरुणाचल प्रदेश	2456.84		261.85	261.85
23	असम	1089.29			
24	मणिपुर	1427.28	784.69		
25	मेघालय	2995.31	997.43		
26	मिजोरम	1132.52			201.99
27	नागालैंड	850.3	809.76		
28	सिक्किम	1022.66		93.21	
29	त्रिपुरा	1120.5	0		
विधानमंडल के साथ और विधानमंडल के बिना संघ राज्य क्षेत्र					
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.07			
31	चंडीगढ़				
32	दादरा और नगर हवेली				
33	दमन और दीव				
34	दिल्ली				
35	जम्मू और कश्मीर	1747.16	1287.0175	675.35	
36	लक्षद्वीप	59			
37	पुडुचेरी				
38	लद्दाख			308.295	
कुल		27539.632	10159.6675	8460.275	2643.59